संख्या–3 १५ / 26–ब0प्र0–2010–4(56) / 96–टी0सी0–1

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 10 ~~अप्रैल~~ मई 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित "अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति " योजना के अंतर्गत किये गये आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक–09–10 / स0क0 / शिक्षा / छात्र / 2010–11, दिनांक 3–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित "अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति " योजना के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 16000.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने हेतु रू0 8000.00 लाख (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की धनरशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय / उपयोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0 / बैंक / डाकखानों / डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि के तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। कोषागार से धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 / बैंक / डाकखानों / डिपाजिट आदि खातों में जमा नहीं की जायेगी। अवशेष बची धनराशि समय से शासन को समर्पित की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों / प्रतिबंधों तथा इस योजना के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों / प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त की प्रत्याशा में प्रथम त्रैमास के लिए इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि वर्ष 2010–11 के लिए अपेक्षित केन्द्रांश सहायता भारत सरकार से अवमुक्त कराना सुनिश्चित कर लेगें तथा इस हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाये।

2– उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–" 2225– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– आयोजनागत –01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103– अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति(के. 100/रा. 0–के..)–21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–951/दस– 2010–231/2010 दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या–395 (1)/26–ब0प्र0–2010 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/।
4– सचिव,भारत सरकार,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
6– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2
7– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।